संख्या:409703 /III(2)/2026-ई0-96418/2026

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 01 जुलाई, 2026

विषयः सिटी मोबिलिटी प्लान के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विभिन्न चौराहों के चौडीकरण कार्यों के संबंध में (विस्तृत आगणन)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसके अंतर्गत 06 कार्यों (लम्बाई 2.228+1 job कि0मी0) के निर्माण की कुल लागत ₹ 3344.97 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई कुल धनराशि **₹ 3344.97** लाख (**₹ तैंतीस करोड चौवालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र**) की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, योजनावार प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात कुल रू0 1337.988 लाख (रू. तेरह करोड़ सैंतीस लाख अठ्ठानवे हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.में)	लागत (₹ लाख में)	प्रथम किश्त (₹ लाख में)
1	2	3	4	5
1	FOR IMPROVEMENT OF DARSHANLAL CHOWK AT DEHRADUN CITY UNDER CITY MOBILITY PLAN AT RAIPUR, DISTT. DEHRADUN (project ID 7957)	0.400	865.58	346.232
2	FOR IMPROVEMENT OF BHEL CHOWK AT DEHRADUN UNDER CITY MOBILITY PLAN AT RAIPUR , DISTT. DEHRADUN (project ID 9196)	1 job	455.74	182.296
3	FOR IMPROVEMENT OF BALLIWALA CHOWK UNDER CITY MOBILITY PLAN (STATE SECTOR) AT RAIPUR , DISTT. DEHRADUN (project ID 8742)	0.0280	660.56	264.224
4	सिटी मोबलिटी प्लान के अन्तर्गत बल्लूपुर चौक का सुधारीकरण का कार्य (project ID 7834)	0.800	365.26	146.104

Scanned with OKEN Scanner

5	FOR IMPROVEMENT OF SAHARANPUR CHOWK AT DEHRADUN CITY UNDER CITY MOBILITY PLAN. AT RAIPUR , DISTT.DEHRADUN (project ID 7961)	0.450	508.54	203.416
6	FOR IMPROVEMENT OF PRINCE CHOWK AT DEHRADUN CITY UNDER CITY MOBILITY PLAN. AT RAIPUR , DISTT. DEHRADUN (project ID 7962)	0.550	489.29	195.716
	योग-	**2.228+1 job**	**3344.97**	**1337.988**

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

I. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

II. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 149101/XXVII(7)/E-20109/ 2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

III. सडक मार्गो के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तारण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से संबंधित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 I/276791/2025 ई पत्रावली सं0 23430 (15 सा0/2022), दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु Detailed विवरण बनाने के उपरान्त नियमानुसार इसके मुआवजे का वितरण की कार्यवाही की जाय।

V. यूटिलिटी शिफ्टिंग/ IT-Equipment के Re-installation के कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों को धनावंटन से पूर्व अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित विभागों के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर सभी प्राविधानों के औचित्य के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लें।

VI. भूमि अध्याप्ति एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु प्राविधानित धनराशि, भूमि प्रतिकर मद से स्वीकृत कराई जायेगी।

VII. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

VIII. निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

IX. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

X. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

XI. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

XII. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

XIII. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

XIV. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

XV. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

XVI. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/ 2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या– 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

XVII. उपर्युक्त योजना के लिए, पूर्व निर्मित देनदारियों सहित, निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगा। लम्बे समय से लंबित योजनाओं के सम्बंध में, उनकी उपयोगिता सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगा और तद्नुसार उचित निर्णय लिए जायेंगे।

XVIII. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्मित देनदारियों का विधिवत भुगतान किया जाए, और कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि संशोधन की आवश्यकता वाली स्थितियां उत्पन्न न हों। विभाग के स्तर पर इन पहलुओं की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -07 सडक सुरक्षा (3054-03-337-05 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/409393/2026 दिनांक 01 जुलाई, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 01-07-2026
17:48:23

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/409703/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26070220012
आवंटन पत्र दिनांक-03-JUL-2026

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	07-सड़क सुरक्षा (30540333705 से स्थानांतरित)
	00--	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	250000000	133798800	0	383798800
योग	250000000	133798800	0	383798800

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.13,37,98,800 (Rupees Thirteen Crores Thirty Seven Lacs Ninety Eight Thousand Eight Hundred Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

PWD UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक- 815 / 20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1 / 2026,

दिनांक- 07 / जुलाई / 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 09 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, CD/PP खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner